

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरूस्ती प्रार्थना" पत्र एवं पटवार हल्का अमरपुरा जालू/तहसीलदार संगरिया की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पंचायत अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 14 एम.पी. की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 एवं चक 13 एम.जे.डी. की जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	चक व खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	चक 14 एएमपी खाता संख्या	वीरा पुत्री सदासिंह	सुखजीत कौर पत्नी श्री
2	20/14 ज.स. 2073-2076 एवं	जाति जटसिंह सा.	मकखन सिंह जाति जटसिंह
3	चक 13 एमजेडी खाता संख्या	अमरपुरा जालू	निवासी 54 एफ. दानेवाला श्री गंगानगर
	30/74 ज.स. 2074-2077		

नोट :-शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिनांक :- 4.9.2023

क्रमांक :- सम/305-306

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थीतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया